यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** के माह 12/2017 से माह 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2018 से 03.12.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2017 से 12.12.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से माह 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी बीमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	66.88	65.39	1.49	2534.27	2378.09	156.18
2016-17	Nil	Nil	74.65	70.71	3.94	2732.67	2550.58	182.09
2017-18	Nil	Nil	79.13	74.07	5.06	2879.73	2839.01	40.72
2018-19	Nil	Nil	78.96	62.00	16.96	1602.32	1258.13	344.19

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016–17		2017–18		2018–19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
इन्दिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	308.72	285.29	249.88	249.86	155.23	148.69
इन्दिरा गांधी राष्टीय विकलांग पेंशन योजना	4.25	4.23	3.14	3.12	2.71	2.54
राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना योजना	42.40	37.00	32.20	31.40	10.16	00
अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	98.34	98.33	75.24	51.31	58.33	40.27
अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	12.00	7.35	25.50	21.95	25.00	00
पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	8.53	1.02	9.86	4.49	00	00
अनु. जनजाति के 9–10 कक्षा की छात्रवृत्ति	00	00	00	00	60.17	60.17

(ii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iii)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह 03/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि का **विश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर–1 बिना बी0पी0एल0 आई.डी. के स्वीकृत लाभार्थी के सापेक्ष भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रु0 08.00 करोड की धनराशि का योजना के नियमों के विरूद्ध भुगतान एवं 02 लाभार्थियों को योजनान्तर्गत रु. 84,000 की धनराशि का दोहरा भुगतान किया जाना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन केन्द्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0 पी0 एल0 लाभार्थियों को रु0 200 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को रु0 500 प्रतिमाह की दर से केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। उपरोक्त आयुवर्ग के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन की कुल राशि रु0 1000 प्रतिमाह में से राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 800 एवं रु0 500 की दर से प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की सूची एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना की जॉच में पाया गया कि जनपद के कुल 16340 लाभार्थियों के सापेक्ष 11353 लाभार्थियों का पेंशन बी0 पी0 एल0 आई डी के आधार पर स्वीकृत मानते हुए भारत सरकार से क्रमशः रु0 200 एवं रु0 500 की दर से सहायता प्राप्त की जाती है। आगे जॉच में पाया गया कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे कुल 11353 लाभार्थियों में से वास्तव में केवल 858 *(08 प्रतिशत)* लाभार्थियों का पेंशन ही बी0 पी0 एल0 आई डी के आधार पर स्वीकृत है जिनके सापेक्ष पेंशन विवरण डाटाबेस में बी0 पी0 एल0 आई डी क्रमांक अंकित है। विवरण निम्नवत् है;

विकास खण्ड	कुल लाभार्थी सं0	केन्द्रीय सहायता प्राप्त लाभार्थी सं0	जिनके सापेक्ष BPL क्रमांक अंकित है	जिनके सापेक्ष BPL क्रमांक अंकित नहीं है
देवाल	996	718	63	655
दशोली	2147	1494	72	1422
घाट	1809	1296	84	1212
गैरसेन	2861	1892	183	1709
जोशीमठ	1751	1314	103	1211
कर्णप्रयाग	2430	1858	130	1728
नारायणबगड	1246	791	48	743
पोखरी	1794	1214	103	1111

थराली	1306	776	72	704
कुल योग	**16340**	**11353**	**858**	**10495**

इस प्रकार से उपरोक्त विवरणानुसार जनपद के 10495 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र होते हुए भी इन लाभार्थियों के लिए इकाई द्वारा लगातार भारत सरकार से अनियमित रुप से धनराशि प्राप्त की जा रही थी। उपरोक्त अपात्र लाभार्थी के सापेक्ष लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017–18 से वर्तमान तक (09/2018) की अवधि में 18 माहों के लिए कुल रु0 8.00 करोड की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रुप में योजना के नियमों के विरूद्ध अनियमित रुप से धनराशि प्राप्त कर लाभार्थी को अनियमित भुगतान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2011–12 से पूर्व लाभार्थियों का डाटा आनलाईन पोर्टल में पोर्ट किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी जिस कारण समस्त लाभार्थियों के बी0पी0एल0 आई.डी. क्रमांक अंकित नहीं हो पायी है। यह भी अवगत कराया कि बी0पी0एल0 आई.डी. क्रमांक पोर्टल में अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2011–12 से वर्तमान तक छः वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन लाभार्थियों के बी0पी0एल0 आई.डी. क्रमांक कार्यालय द्वारा अंकित नहीं किया जा सका है।

तथा वृद्वावस्था पेंशन की उपलब्ध करायी गयी लाभार्थी सूची तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि 02 लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या समान होने पर भी आनलाईन पोर्टल एवं कार्यालय के संज्ञान में यह नहीं आया कि इन लाभार्थियों को एक से अधिक बार पेंशन स्वीकृत किया गया है। अतः कार्यालय द्वारा 02 लाभार्थियों को एक से अधिक बार अर्थात दो बार पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा उनको पेंशन स्वीकृति की तिथि से वर्तमान तक लगातार रु0 84000 के अदेय पेंशन का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वार्षिक सत्यापन में इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये थे। यह भी आश्वस्त किया गया कि इन लाभार्थियों की एक पेंशन बन्द कर दी जाएगी तथा किये गये अदेय पेंशन की धनराशि की वसूली की जाएगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 02 लाभार्थियों को रु0 84000 की धनराशि के अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अतः बिना बी0पी0एल0 आई.डी. के स्वीकृत लाभार्थी के सापेक्ष भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रु0 08. 00 करोड की धनराशि का योजना के नियमों के विरूद्ध भुगतान एवं 02 लाभार्थियों को योजनान्तर्गत रु. 84,000 की धनराशि का दोहरा भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 80 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले लाभार्थियों के संबंध में अनुचित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करना।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 में जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार गंभीर विकलांगता से ग्रस्त बीपीएल व्यक्तियों को पेंशन दी जानी है, गंभीर विकलांगता से तात्पर्य 80% विकलांगता अथवा एक से अधिक विकलांगता से है, भारत सरकार द्वारा 80 वर्ष तक की आयु के बीपीएल श्रेणी के पेंशनरों को रु. 300 प्रति माह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु होने पर रु. 500 प्रति माह की दर से पेंशन सहायता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा समस्त लाभार्थियों (बीपीएल एवं आय पर आधारित) को रु.1000/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है। बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के प्रकरणों में केंद्र की उपरोक्त दरों से सहायता भी सम्मिलित है।

जनपद के विकलांग पेंशन संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद के 09 विकास खण्डों में से 07 विकास खण्डों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग पेंशन के 116 लाभार्थी हैं। जिसमें से 91 लाभार्थियों (78%) की विकलांगता का प्रतिशत 80% से कम है। विवरण निम्नानुसार है।

विकास खण्ड का नाम	**एनएसएपी के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या**	**ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 80 से कम है।**
नारायणबगड़	18	16 (89%)
थराली	15	15 (100%)
पोखरी	15	09 (60%)
कर्णप्रयाग	33	24 (73%)
जोशीमठ	07	06 (86%)
घाट	12	10 (83%)
दशोली	16	11 (69%)
कुल योग	116	91 (78%)

इस प्रकार उपरोक्त 91 लाभार्थियों के लिए केन्द्र सरकार से रु. 3,27,600/- (91x300x12) वार्षिक की दर से अनुचित सहायता ली जा रही है।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि संदर्भित लाभार्थियों के संबंध में पुनः जाँच की जाएगे तथा केन्द्रीय योजना में अपात्र होने की दशा में लाभार्थियों को राज्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, एनएसएपी के दिशानिर्देशों से स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कार्यालय द्वारा 80% से कम विकलांगता के बीपीएल लाभार्थियों को एनएसएपी के अंतर्गत विकालंग पेंशन प्रदान करके अनुचित केन्द्रीय सहायता ली जा रही है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर–3 अनुसूचित जाति वर्ग एवं विधवा पुत्री शादी अनुदान योजनान्तर्गत बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये 86 लाभार्थियों को रु0 43.00 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान तथा 39 लाभार्थियों को वर्तमान तक भुगतान न किया जाना।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग अथवा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी शासनादेश दिनांक 23 मई 2016 के प्रावधानों के अनुसार योजना हेतु प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी तक की शादी तिथियों से सम्बन्धित आवेदन स्वीकृत किए जाएगें तथा भुगतान की कार्यवाही माह मार्च तक पूर्ण की जाएगी। योजना के अन्य शर्तो के साथ–साथ आवेदक द्वारा माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण पत्र (पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शादी का प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस दशा में आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक को अनुदान के रुप में रु0 50000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है जिसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के अनुसूचित जाति वर्ग एवं विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना के वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष के दौरान रु0 99.00 लाख की धनराशि का आवंटन प्रदान किया गया था जिसे 198 आवेदकों को अनुदान का भुगतान कर लाभान्वित किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करते हुए अनुदान की धनराशि का भुगतान से पूर्व अधिकतर आवेदकों से विवाह का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया था जबकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आवेदक विवाह का प्रमाण पत्र माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कार्यालय में जमा नहीं कराता तो उसे उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यालय द्वारा वर्ष में स्वीकृत कुल लाभार्थियों के सापेक्ष कोषागार में देयक प्रस्तुत कर धनराशि प्राप्त कर संचालित बैंक खाते में जमा करने के उपरान्त NEFT के माध्यम से लाभार्थी के खाते

में स्थानान्तरित किया जाता है तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन में सम्पूर्ण धनराशि को व्यय के रुप मे दर्शा दिया गया था। जॉच में पाया गया कि वर्ष के दौरान कुल भुगतानित 198 लाभार्थियों में से केवल 73 लाभार्थी *(37 प्रतिशत)* से ही विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था तथा 39 लाभार्थियों को वर्तमान तक अनुदान का भुगतान ही नहीं किया गया था तथा इनसे सम्बन्धित धनराशि बैंक खाते में अवशेष के रुप में अवरुद्ध था। कार्यालय द्वारा अनुदान की धनराशि का वास्तव में भुगतान प्रदान की गयी कुल 159 लाभार्थियों में से वर्तमान तक 86 लाभार्थियों से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था इस कारण इनको किया गया भुगतान रु0 43.00 लाख की धनराशि का विवाह प्रमाण पत्र न प्राप्त किये जाने के कारण अनियमित भुगतान प्रदान किया गया था। दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान तक भुगतान न किये गये 39 लाभार्थियों की दावेदारी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण निरस्त करते हुए सम्बन्धित धनराशि चालान के माध्यम से प्राप्ति मद में जमा कर दिया जाना चाहिए था जो कि कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था। इतनी अधिक संख्या में योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अनियमित भुगतान किये जाने से यह प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा योजना के संचालन में उदासीन रवैया अपनाया जाता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु वर्तमान तक उनके द्वारा विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी आश्वस्त किया गया कि प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा भविष्य में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः अनुसूचित जाति वर्ग एवं विधवा पुत्री शादी अनुदान योजनान्तर्गत बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये 86 लाभार्थियों को रु0 43.00 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान तथा 39 लाभार्थियों को वर्तमान तक भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर—4- अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत से कम अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में रु. 52.00 लाख के अवस्थापना सृजन के अनियमित कार्य निष्पादन कराये जाना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के विभिन्न आदेशों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017—18 में जनपद में 10 निर्माण कार्यो के लिए रु0 65.84 लाख का आवंटन किया गया। इन कार्यो में सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन का निर्माण आदि कार्य सम्मिलित थें। शासनादेश सख्यॉ 125/XVII(1)/09—42 प्रकोष्ठ/2007, दिनॉक 13 फरवरी 2009 के अनुसार अवस्थापना के अर्न्तगत वर्णित प्रावधानों के बिन्दु 03 में यह प्रावधानित है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ग्रामों में अनुसूचित जाति के **40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आबादी हो तो प्रथमतः अवस्थापना सृजन हेतु अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों को चयनित किया जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे राजस्व ग्राम से है जिनकी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की हो।** जिन विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या वाले समस्त ग्राम एवं वार्ड संतृप्त हो चुके है उन विकास खण्डो एवं नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से कम किन्तु 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत विकास कार्यो के लिए चयन किया जा सकता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2017—18 में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष के दौरान शासन द्वारा धनराशि रु0 65.84 लाख के कुल 10 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यो में धनराशि रु0 52 लाख के 06 निर्माण कार्य ऐसे ग्राम पंचायत में सम्पादित किया जाना सम्मिलित थे जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से कम थी। उपरोक्त प्रावधानानुसार इस हेतु कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों एवं ग्रामों में अनुसूचित जाति उप योजना के 40 प्रतिशत कार्य पर्याप्त मात्रा में सम्पादित किये जा चुके है। इन कार्यो के लिए प्रस्ताव अनियमित रुप से कार्यालय द्वारा तैयार कर निर्देशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था। कार्यो का विवरण निम्नवत् है;

(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सख्या	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्य की वर्तमान प्रगति (प्रतिशत में)	अनु0जाति प्रतिशत
01	ग्राम पंचायत सारकोट के अनु0 जाति बस्ती छजगाड़ गॉव में बरातधर निर्माण	9.00	4.50	00	24.68
02	ग्राम पंचायत सारेग्वाड़ अनु 0जाति बस्ती में खण्डजा सी सी निर्माण	9.00	00	00	19.66
03	ग्राम पंचायत परवाडी के अनु0 जाति बस्ती परवाड़ी गॉव में बरातधर निर्माण	9.00	4.50	00	28.15
04	ग्राम पंचायत रामडातल्ला के अनु0 जाति बस्ति आरूडाली छपाली में बारातघर का निर्माण	9.00	4.50	00	28.83
05	ग्राम पंचायत रामडातल्ला के अनु जाति बस्ती छपाली से रा0क0मा0 मेहरगांव तक खण्डजा सी सी मार्ग निर्माण	6.00	3.00	00	28.83
06	ग्राम पंचायत आगर अनु0 जाति बस्ती के सनेडा तोक मे खण्ड़जा सी सी मार्ग निर्माण	10.00	5.00	00	15.94
योग		52.00	21.50	00	

उपरोक्त तालिका में जो कार्य स्वीकृत किये गये है एवं निर्माणधीन है इन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसख्या 40 प्रतिशत से कम है। उक्त कार्या का सृजन करना दिशा–निदेर्शो की अवहेलना है। इसके अतरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि उक्त कार्य की समस्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को 08/2018 में अवमुक्त की गयी थी। कार्यदेश के अनुसार समस्त कार्य 10/2018 तक पूर्ण किये जाने चाहिऐ थे। जबकि सम्प्रेक्षा अवधि (10/2018) तक कार्य की प्रगति 00 प्रतिशत है। जनपद कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुश्रवण निमार्ण कार्यो के लिए नही किया जा रहा है। यदि कार्यो का अनुश्रवण किया जाता तो कार्य के पूर्ण होने के विलम्ब से बचा जा सकता था। क्योकि समय से कार्य पूर्ण न होने की दशा में योजना का उद्देश्य विफल रहा। क्योकि यह योजना अनुसूचित जाति के सर्वागीण विकास के लिए समस्त क्षेत्रों में पहुचाये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के लिए है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि उक्त कार्यो के प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त होता है। जिन ग्राम सभाओं की अनु. जाति की सख्या 40 प्रतिशत से कम होती है उन ग्रम पंचायत के तोक/मजरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाता है। प्रस्तुत प्रस्तावों/प्राक्कलनों को जनपद स्तर पर टीएसी किये जाने के उपरान्त निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारभ्भ किये जातें है। योजनाओं का चयन निर्धारित कमेटी द्वारा किया जाता हैं

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी है। यदि कार्यालय के पास अवस्थापना सृजन के **सम्बन्ध** में कोई गलत प्रस्ताव आता है तो कार्यालय का प्रथम दायित्व है कि ऐसे प्रास्तावों की जाचॅ करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत करें। जबकि कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित ही नहीं किया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों एवं ग्रामों में अनुसूचित जाति उप योजना के 40 प्रतिशत कार्य पर्याप्त मात्रा में सम्पादित किये जा चुके है। ऐसे न करना शासनादेश की अवहेलना है।

अतः दिशानिर्देशों के विपरित 40 प्रतिशत से कम अनुसुचित जाति आबादी क्षेत्र में रु0 52.00 लाख के अवस्थपना सृजन के अनियमित कार्य निष्पादित कराये जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5:- कार्यालय में संचालित 02 बैंक खातों में ₹ 4.05 करोड़ की धनराशि का अवरोधन।

उत्तराखंड शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा की जाती रही है, अतः जब किसी कार्य के लिए निधि की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाए, साथ ही सरकारी विभागों में बैंक खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु खाता संचालित किया जा सकता है अन्यथा यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाए एवं उस खाते की धनराशि विभागीय पीएलए में तथा उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा करा दिया जाए

कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में कार्यालय में संचालित 02 बैकों में निम्नानुसार धनराशि अवशेष थी

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि (लाख में)**	
		31.03.2018	30.11.2018
भारतीय स्टेट बैंक गोपेश्वर	11272220140	751.69	390.96
भारतीय स्टेट बैंक गोपेश्वर	35576838946	49.93	13.94
कुल योग			404.90

संप्रेक्षा द्वारा इतनी बड़ी राशि के अवशेष में होने के संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अवशेष धनराशि की पुनः जांच की जाएगी तथा लाभार्थियों को भुगतान न की जाने वाली राशि पाये जाने पर अवशेष धनराशि को विभागीय लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर:1- दशमोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत बिना सत्यापन के ₹ 1.14 करोड़ की छात्रवृति का वितरण।

उत्तराखंड शासन द्वारा मार्च 2017 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियों के सत्यापन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संबन्धित जिले के जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के आईटी प्रकोष्ठ तथा संबन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी से वर्ष 2014-15 से अब तक समस्त छात्रवृति के आवेदकों की सूची प्राप्त करेंगे तथा समस्त छात्रों का भौतिक सत्यापन एवं उनके अभिलेखों की जांच की जाएगी, यह सत्यापन कार्य समाज कल्याण विभाग से इतर अन्य अधिकारियों से कराया जाएगा तथा उपरोक्त सत्यापन का 10 प्रतिशत Random Sampling के आधार पर स्वयं भी सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्न वर्गों को ₹ 1.14 करोड़ की छात्रवृति वितरित की गई है।

वर्ग	लाभान्वित छात्र	वितरित राशि
अन्य पिछड़ा वर्ग (2016-17)	82	13,68,365
अनुसूचित जाति (2016-17)	2616	75,12,797
अनुसूचित जनजाति (2009-10)	158	3,55,500
अनुसूचित जनजाति (2016-17)	275	21,45,510
कुल योग	3131	1,13,82,172

संप्रेक्षा में पाया गया कि उपरोक्त छात्रों का भौतिक सत्यापन समाज कल्याण विभाग से इतर अन्य अधिकारियों से नहीं कराया गया था, तथा संबन्धित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य की संस्तुति मात्र पर छात्रवृति वितरित कर दी गई है, जो कि शासन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि जिला अधिकारी के निर्देशानुसार छात्रवृति का भौतिक सत्यापन संबन्धित शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर सत्यापन का कार्य किया जाता है। इकाई के उत्तर से यह स्पष्ट है कि दशमोत्तर छात्रवृति के सत्यापन में शासन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है, समाज कल्याण

विभाग से इतर अन्य विभाग के अधिकारियों के सत्यापन कराये बिना ₹1.14 करोड़ की छात्रवृति वितरण का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
59	**2007-08**	**01 से 03**	**01 से 07**	शून्य
130	**2008-09**	शून्य	**01**	शुन्य
59	**2011-12**	**01**	**01,02**	**01,02**
134	**2014-15**	**01**	**01, 02**	**01, 02**
11	**2016-17**	शून्य	**01,02**	शून्य
148	**2017–18**	**शून्य**	**01 से 06**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
59/2007-08	Part IIA-01 to 03 Part IIB-01 to 07		लेखापरीक्षा के दौरान लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया गया तथा अभिलेखों के सत्यापन किया गया तद्उपरान्त भाग दो (ब) के कुल 13 प्रस्तर एवं STAN के कुल 03 प्रस्तर निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गयी।	
130/2008-09	Part IIA-Nil Part IIB-01			
59/2011-12	Part IIA-01 Part IIB-01, 02 STAN-01,02			
134/2014-15	Part IIA-01 Part IIB-01, 02 STAN-01,02			
11/2016-17	Part IIA-Nil Part IIB-01, 02			
148/2017-18	Part IIA-01 to 06 Part IIB-01			

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.